न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
प्रकरण संख्या 17/2026 (GCMS: 2026/33)
(RTI No. : 212743069724976)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, निवासी वार्ड नम्बर 22, लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94606–88197)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुभाष कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुभाष कुमार ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुभाष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> वसीयत दिनांक 22.07.1994, एस.आर., सादुलशहर मे कराई (नन्दराम पुत्र बख्ताराम ने प्रवीण कुमार पुत्र विद्यासागर के नाम कराई) चक एलएलजी कृषि भूमि प्रमाणित प्रति।

अपीलाार्थी द्वारा वांछित सूचना का सम्बन्ध उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से होने के कारण, **सहायक लोक सूचना अधिकारी** एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 368 दिनांक 21.01.2026 से प्रार्थी का [illegible] पंजीयक, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया था। [illegible] पत्रांक 10 दिनांक 14.01.2026 से प्रार्थी को रजिस्टर्ड [illegible] जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में [illegible] है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत आपका आनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 212592027513658 दिनांक 24.12.2025, जो श्रीमान् उप पंजीयक, सादुलशहर के पत्रांक

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 17/2026
(GCMS: 2026/33)
(RTI No. 212743069724976)
सुभाष कुमार बनाम तहसीलदार, श्रीगंगानगर

पंजीयन/2025/01 दिनांक 02.01.2026 के संलग्न इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। जिसके क्रम में यह है कि पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत यदि किसी विशेष अधिनियम के दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम लागू होगें।

चूंकि विभाग द्वारा दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु शुल्क निर्धारित है। अतः आप विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 3 फार्म 12 मय निर्धारित शुल्क प्रति दस्तावेज (100/- रू. स्टाम्प व 200/- प्रतिलिपि शुल्क) कार्यालय हाजा में आवेदन कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते है।

उपपंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही प्रतीत होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उपपंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज की जाती है। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक पत्र.23(16)वित्त/कर/2008 दिनांक 22.11.2016 के अनुसार उप पंजीयक के प्रथम अपीलीय अधिकारी, उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग है। इसलिए अपीलार्थी यदि उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो वह सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:09 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर